

20.03.2024

पत्रावली पेश हुई।  
प्रार्थीगण अधिवक्ता एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता उपस्थित।  
विप्रार्थी संख्या 4 से 9 नोटिस तामील होने के बावजूद अनुपस्थित। अतः  
उनके के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है।


प्रार्थीगण अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस है कि  
प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्ड खालेदार हैं और रिकार्ड खालेदार अपनी  
खालेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाने के लिए स्वतंत्र है। जिसके  
प्रार्थीगण हकदार भी है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सेढा पर पक्की माटें  
व सीमा चिन्ह नहीं होने से प्रार्थीगण अपनी भूमि पर काश्त करने से वंचित रह  
जाते हैं। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि स्थाई समाधान के लिए नेखमबन्दी  
आदेश प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में  
निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा हम विप्रार्थी को नाहक परेशान करने की नियत  
से मनगढंत तथ्यों पर आधारित यह आवेदन पेश किया है। अतः श्रीमान जी से  
निवेदन है कि प्रार्थीगण का आवेदन झूठा एवं मनगढंत तथ्यों पर आधारित होने  
से मय हर्जा खर्चा आवेदन खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक  
अवलोकन किया। प्रार्थीगण अपनी खालेदारी भूमि के रेकर्डेड खालेदार होने से  
अपनी आराजी की नेखमबन्दी करवाने हेतु स्वतंत्र है। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा अपनी  
भूमि की पक्की नेखमबन्दी बाबत आवेदन पेश किया गया है जबकि विप्रार्थी  
अधिवक्ता द्वारा आवेदन का जवाब भी पेश नहीं किया गया है तथा उक्त  
नेखमबन्दी आवेदन प्रार्थीगण द्वारा गलत झूठे तथ्यों पर आधारित होना बताया  
गया है। प्रार्थीगण उक्त आराजी के रेकर्डेड खालेदार होने से अपनी खालेदारी  
की नेखमबन्दी करवाने हेतु स्वतंत्र है तथा साथ ही यदि पक्षकारान् को कोई  
उजर एतराज है तो वे नेखमबन्दी पालना के दौरान अपना पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र  
है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार किया जाकर  
नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा  
जोरानाडा, तहसील शिव में अवस्थित खालेदारी भूमि के खसरा नम्बर 699 रकबा  
9.0649 हैक्टेयर विवादित भूमि के संबंध में पूर्व में सीमाज्ञान की नियमानुसार  
कार्यवाही करें। सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार वहन किया जायेगा।  
तत्पश्चात कार्यवाही विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए  
नेखमबन्दी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक शिव को कमिश्नर नियुक्त किया  
जाता है। उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण को पूर्व में जरीये  
नोटिस/पत्र से सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे।  
कमिश्नर शुल्क 500/- प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। मौके पर कब्जा काश्त  
को लेकर विवाद होने की स्थिति में नेखमबन्दी की कार्यवाही नहीं की जावे।  
आवश्यकता होने पर एस.एच.ओं. शिव से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु  
अधिकृत किया जाता है। भू-अभिलेख निरीक्षक शिव बाद पालना, पालना  
प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
शिव (बाड़मेर)